1. मोगलजान अंसारी 2. रौशन अली.......................................आवेदक

बनाम

बिहार सरकार...विपक्षी पक्ष

आवेदक के तरफ से श्री स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता ।

बिहार सरकार के तरफ से श्री अनिल कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक।

19.06.2026

आवेदक 1. मोगलजान अंसारी 2. रौशन अली, जो गोपालगंज थाना कांड संख्या–465/26 अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 109(1), 117(2), 74, 3(5) भा0न्या0सं0 के अभियुक्त हैं, के तरफ से अपने गिरफ्तारी होने की आशंका के कारण दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्ष को सुना ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और नहीं ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है, न खारिज किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक एवं विपक्षी पटीदार हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत का विरोध किया गया।

प्राथिमिकी के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक–06.05.2026 को सुबह 8:30 बजे अपने घर के ढलाई के लिए ट्रैक्टर से गिट्टी गिरा रहे थे कि इसी दौरान इनके पड़ोसी 1. रौशन अली 2. मोगलजान अंसारी 3. मिसरून नेसा 4. सबा खातून ये सभी लोग इनके दरवाजे पर हथियार से लैश होकर पहुंच गये और गाली देते हुए कहने लगे कि साला तुमलोगों का मन बढ़ गया है, यहां गिट्टी क्यों गिरा रहा है, इस पर इन्होंने कहा कि कुछ दिनों में खाली हो जाएगा। इसी बात पर 1. रौशन अली अपने हाथ में लिये लोहे के रॉड से जान मारने की नियत से इनके सर पर दो बार प्रहार किये जिससे ये खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गए। सूचक के पिता मोहम्मद अजीम और मां अनरसन खातुन

बचाने आये तो 2. मोगलजान अंसारी लोहे के रॉड से सूचक के पिता के सर पर मारे जिससे उनके सर और कान पर गंभीर चोट आयी। इनके पिता सिवान अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हुए। इनकी मां को रौशन अली और मोगलजान दोनों मिलकर पीटने लगे जिससे इनकी मां के आंख पर गंभीर चोट आयी और सभी लोग इनकी मां को जमीन पर घसीटने लगे जिससे इनकी मां का कपड़ा खुल गया। येलोग जान बचाने के लिए घर में भागे तो वे सभी लोग घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। हल्ला होने पर अगल बगल के लोग आये तो इनलोगों की जान बची। इनलोगों का ईलाज सदर अस्पताल गोपालगंज में चला उसके बाद स्थिति को देखते हुए वहां से सिवान रेफर किया गया जहां पर समीर सन राईज अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं।

अद्यतन कांड दैनिकी एवं मूल अभिलेख सहित संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्तों पर सूचक के सिर पर लोहे के रॉड से मारकर जख्मी कर देने का आरोप है। सूचक के पिता के सिर पर बेलचा से मारने एवं इनकी मां के साथ भी मारपीट करने का आरोप है। अद्यतन कांड दैनिकी के पैरा–32 में सभी जख्मीयों का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त है। इस मामले में कुल 3 जख्मी हैं जिसमें जख्मी अजीम अंसारी को गंभीर प्रकृत्ति का जख्म कारित किया गया है। जख्मी की जख्म की प्रकृत्ति एवं आरोप की गंभीरता को देखते हुए। अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान अभी जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक अभियुक्त 1. मोगलजान अंसारी 2. रौशन अली को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त आवेदक अभियुक्तों का अग्रिम जमानत आवेदन ***अस्वीकृत*** किया जाता है।

(लेखापित)

विभा द्विवेदी

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम्

गोपालगंज।

दिनांक–19.06.2026

Date of Judgment/Order	19-06-2026
Date of Reserving Judgment/Order	-
Uploading Date	20-06-2026
Uploaded by	Nitish Kumar